

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गोंवों के संग अभियान 2021 कैम्प शेकड

प्रकरण संख्या / 820/21

दिनांक :- 08-11-21

उनवान

श्री शैलान सिंह पुत्र भूला राम मीका यनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दरतावेज,  
पटवारी हल्का शेकड भू. अ. नि. भीलवाडी नायब तहसीलदार  
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शेकड प. ह. शेकड  
की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076-77 के खाता संख्या 839 में  
प्रार्थीगण की प्रविष्टि शैलान सिंह पुत्र भूला राम मीका  
के स्थान पर शैलान सिंह पुत्र भूला राम मीका  
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश  
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

hu  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री शैलान सिंह पुत्र भूला राम मीका
3. रक्षित पत्रावली

hu  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा